

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फाल खिड़की केवल आवासीय योजना

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 715 दिनांक 26/10/2020

प्रार्थी गोपी किरान दाठ श्री बिरमा राम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 14395/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2062/487, 488

दिनांक 26/10/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 27 (मूल कागज)

ग्राम-जोधपुर स्वच्छ संस्था 335/61

श्री गणेश श्री दाठी

26/10/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

श्रीती लाल

8619487794

जी+1

आवासीय